

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या- 2074 / 2014 / जोधपुर

मैसर्स ऑटो कमाण्ड कार्पोरेशन
बी.डी.कल्ला भवन, जालप मोहल्ला, जोधपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

उपायुक्त (अपील्स),
वाणिज्यिक कर, जोधपुर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट प्रथम, वृत्त-बी, जोधपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.पी.व्यास, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा

उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 23 / 04 / 2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे "अपीलार्थी" कहा जायेगा) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 20/आरवैट/जेयूबी/2014-15 के आदेश दिनांक 16.09.2014 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा अपीलीय प्राधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-बी, जोधपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23/24 के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के लिये पारित आदेश दिनांक 26.02.2014 में आरोपित विलम्ब शुल्क रूपये 5000/- की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यवहारी फर्म त्रैमासिक करदाता की श्रेणी में आता है एवं उसके द्वारा वर्ष 2011-12 के लिये त्रैमासिक विवरण पत्र तो प्रस्तुत कर दिये गये थे परन्तु वार्षिक विवरण पत्र 10ए प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रूपये 5000/- विलम्ब शुल्क निर्धारित किया गया है। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलीय आदेश दिनांक 16.09.2014 द्वारा अस्वीकार करते हुए आरोपित विलम्ब शुल्क की पुष्टि की गई है। उक्त अपीलीय




निरन्तर.....2

आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के सम्मुख पेश की गई है।

3. अपीलार्थी की ओर से बहस प्रारम्भ करते हुए विद्वान अभिभाषक ने बताया कि व्यवहारी फर्म द्वारा त्रैमासिक विवरण पत्र वैट 10 प्रस्तुत कर दिये गये थे परन्तु वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए प्रस्तुत नहीं किया था। व्यवहारी का वर्ष 2011-12 का सम्पूर्ण टर्नओवर त्रैमासिक विवरण पत्रों में दर्शित है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित विलम्ब शुल्क को अनुचित बतलाते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।
4. प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः विलम्ब शुल्क आरोपित किया जाना विधिसम्मत है। कर निर्धारण अधिकारी ने विधिवत रूप से विलम्ब शुल्क का आरोपण किया है, जिसकी पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः उन्होंने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा यद्यपि त्रैमासिक विवरण पत्र वैट 10 प्रस्तुत कर दिये गये हैं परन्तु वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए प्रस्तुत नहीं किया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजस्थान कर बोर्ड की वृहदपीठ द्वारा सुनील एण्ड ब्रदर्स बनाम सीटीओ अपील संख्या 1063/2015/टॉक निर्णय दिनांक 07.03.2018 के प्रकरण में विलम्ब शुल्क आरोपण के संबंध में विधि अभिनिर्धारित की गई है (Law has been laid down) जिसके मुख्य अंश निम्नानुसार उद्धरित किये जाते हैं :-


"1. For assessment year 2011-12 onwards the late fee is payable for late filing of returns only and in case the late fee has not been deposited by the dealers the assessing authority while finalizing the assessment, are competent to calculate and levy the late fee. As the 'fee' is not in the category of penalty therefore, no notice is required to be issued prior to levy of late fee.

2. In case of non-filing of returns between the period 15.04.2011 and 31.07.2014, since no specific provision existed for levy of late fees for non-filers, the late fee is not leviable. As the section 58 was deleted on 15.04.2011 and sub section (4) of section 24 was substituted on 31.07.2014 for levy of penalty for non-filing of returns,




therefore, in such cases, the only recourse available to the assessing authorities was to levy penalty u/s 64 of the Act, categorized as "penalty for other violations". "

6. उपरोक्त वर्णित न्याय दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पुनर्निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त संदर्भित निर्णय में सुस्थापित की गई विधि (Law as laid down) के अनुरूप अप्रस्तुत रिटर्न्स के संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही कर आदेश पारित करे। इस संबंध में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 18.06.2018 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।
7. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।
8. निर्णय सुनाया गया।


23.04.2018
(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य